

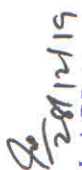
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	राजगढ़ जिले में ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डालिया बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.540 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 जल निगम मार्यादित, PIU राजगढ़ को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:-28.12.2019

स्थान:- भोपाल।


 (SUNIL AGRAWAL)
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)
 Madhya Pradesh, Bhopal